न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 192/2018/(2018/00192) जिला–नागौर

श्री धनश्याम गौड़ पुत्र श्री रामनारायण गौड़ जाति ब्रहाम्ण, निवासी ब्रहम्पुरी, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री अब्दुल गफार पुत्र श्री अजीज
2. मुन्नी उर्फ मुमताज पुत्री श्री अजीज
3. रईसी पुत्री श्री अजीज
4. श्री अब्दुज हकीम पुत्र श्री अजीज
5. श्रीमती रजिया बानो पत्नि श्री अब्दुल सलीम
6. श्री खुर्शीद पुत्र श्री अब्दुल सलीम
7. श्री निसार पुत्र श्री अब्दुल सलीम
8. श्री मोमिन पुत्र श्री अब्दुल सलीम
9. श्री अमीन पुत्र श्री अब्दुल सलीम
10. परवीना पुत्री श्री अब्दुल सलीम
11. फरीदा पुत्र श्री अब्दुल सलीम
12. जरीदा पुत्री श्री अब्दुल सलीम
13. श्रीमती बसीरन पत्नि श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
14. श्री अब्दुल रफीक पुत्र श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
15. श्री मोमिन उर्फ शरीफ पुत्र श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
16. श्री रकीब पुत्र श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
17. श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
18. सायदा बानो पुत्री श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
19. सदीका बानो पुत्री श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
20. सुवादिका पुत्री श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
21. अफरोजा पुत्री श्री अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा
22. श्रीमती सुल्ताना पत्नि श्री इना उर्फ अब्दुल सत्तार
23. श्री फिरोज पुत्र श्री इना उर्फ अब्दुल सत्तार
24. श्री अमजद पुत्र श्री इना उर्फ अब्दुल सत्तार
25. मेहरूनिशा पुत्री श्री इना उर्फ अब्दुल सत्तार
    सभी जाति मुसलमान, (सिलावट) निवासीगण गगराना, तहसील मेड़ता जिला नागौर
26. तहसीलदार, मेड़ता
27. पटवारी हल्का, गगराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता (नागौर) दिनांक 19–06–2017
अन्तर्गत अपील संख्या 05/2016

––––

उपस्थित– 1. श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री एस.पी. सिंह चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–30.12.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 के विरूद्ध लगभग 40 वर्षो के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 27 के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने सरपंच ग्राम पंचायत गगराना द्वारा पारित नामान्तरकरण को निरस्त कर तहसीलदार, मेड़ता को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–6–2017 द्वारा अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशों के साथ कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे, रिमाण्ड कर दी। इसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा सिविल वाद रामनाराण के बयनामा को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है जिसमें उक्त तथ्य की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने दिनांक [illegible]–7–2018 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के कार्यालय से नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा संबंधित दस्तावेजात की नकले भी दिनांक 20–9–2018 को प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 24–9–2018 को नकले प्राप्त हुई। अपीलार्थी ने अभिभाषक से सम्पर्क कर बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत विलम्बित अवधि के प्रत्येक दिवस का हिसाब देने पर ही विलम्ब क्षमा योग्य है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 27 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 543 मिन रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 811 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 7 बिस्वा जो ग्राम गगराना में स्थित है उक्त आराजी अपीलार्थी के पिता अजीज पुत्र हुसैन की खातेदारी की थी जिनके विधिक उत्तराधिकारी 5 पुत्र व 2 पुत्रियां थी जो क्रमशः अब्दुल हकीम, अब्दुल सलीम, अब्दुल वहीद उर्फ सोयदा ईना उर्फ अब्दुल सत्तार, रईसा, मुन्नी उर्फ मुमताज व अब्दुल गफ्फार थे लेकिन अपीलार्थी के अलावा अन्य 4 वारीसान के नाम उक्त नामान्तरकरण संख्या 470 पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। अपीलार्थी व अब्दुल हकीम तो जीवित है तथा 3 विधिक वारिसान सलीम, सोयदा व ईना का स्वर्गवास हो चुका है जिसमें सलीम के विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 है तथा सोयदा के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 10 लगायत 18 है तथा ईना के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 19 लगायत 22 है जिन्हें पक्षकार बनाया जा रहा है इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 अपीलार्थी के हक व अधिकार तक निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न तारीख पेशिया देते हुए पत्रावली दिनांक 30–5–2017 को [illegible] नहीं हुई और अचानक दिनांक 18–6–2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प में नियत कर नोन–स्पीकिंग आदेश द्वारा नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 को निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार, मेड़ता को रिमाण्ड कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 के पश्चात उमें अंकित खातेदार सलीम हकीम सोयदा व ईना के मध्य आराजी का विभाजन हो गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1056 दिनांक 16–6–1989 नायब तहसीलदार के आदेश द्वारा पारित कर दिया गया उसके पश्चात ईना उर्फ अब्दुल सत्तार ने अपने हिस्से में आये आराजी खसरा नम्बर 543/4 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी को अपीलार्थी के पिता रामनारायण पुत्र रामचन्द्र को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 14–5–1991 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 27–5–1993 पारित कर दिया गया जो खातेदार दर्ज रहे उन्होंने उक्त आराजी दिनांक 1–3–2006 को अपीलार्थी श्री घनश्याम गौड़ के नाम वसीयत कर दी तथा रामनारायण का स्वर्गवास दिनांक 1–10–2006 को हो गया।

उनका यह भी कथन है कि सोयदा उर्फ वहीद ने भी अपने हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 811/5 मिन रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20–7–1993 द्वारा अपीलार्थी घनश्याम पुत्र रामनारायण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा उक्त पंजीकृत बयनामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1319 दिनांक 20–10–1995 द्वारा अपीलार्थी के हक में पारित कर दिया गया जो राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। उसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जानबूझकर तथा न्यायालय को गुमराह कर प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 27 को ही पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अपने निर्णय दिनांक 19–6–2017 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार मेड़ता को रिमाण्ड कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष पत्रावली अपूर्ण थी तथा रेकार्ड भी प्राप्त नहीं हुआ था जो दिनांक 9–3–2017 की प्रोसिडिंग से स्पष्ट है तथा पत्रावली दिनांक 30–5–2017 को नियत होनी थी जो नहीं हुई बल्कि अचानक दिनांक 19–6–2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार में नियत कर नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 को निरस्त कर भारी भूल की है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता का निर्णय नोन स्पीकिंग कारण रहित आदेश है जो बिना किसी कारण का अंकन किये नामान्तरकरण संख्या 470 को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। ऐसा निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त कथन के समर्थन में उन्होंने डी.एन.जे. (एस.सी) 2009 पेज 53, डीएनजे (राज0) 2003 (2) पेज 644, आर.आर.टी 2014 (1) पेज 354, आर.आर.डी 2007 पेज [illegible], आर.आर.टी. 2006–07 (एससी) पेज 341 आदि नजीरे प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 नामान्तरकरण संख्या 470 में पक्षकार नहीं थे इसलिए उको अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिए बिना अपील चलने योग्य नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 अजीज के विरासत बाबत पारित किया गया था जिसकी अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष लगभग 40 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की लेकिन मियाद के बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया बिना मियाद के निर्णय पारित किये अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं कर नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 निरस्त कर कानूनी भूल की है। उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी के अभिभाषक ने डीएनजे (राज0)1998 पेज 767, आर.आर.टी 2013 (2) पेज 1252, आर.आर.डी. 1993 पेज 24 आदि नजीरे प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 पारित किया गया जिसके पश्चात उक्त नामान्तरकरण में अंकित खातेदारों ने आपसी सहमति से आराजी का विभाजन कर लिया जिस पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–6–1989 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1056 पारित कर दिया गया जिसके पश्चात खातेदार ईना उर्फ सत्तार ने अपीलार्थी के पिता राम नारायण को आराजी खसरा नम्बर 543/4 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 14–5–1991 को कर दिया तथा उक्त बयनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 27–5–1993 को पारित कर दिया गया जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2798 रकबा 0.85 हैक्टेयर है इसी प्रकार एक अन्य खातेदार सोयदा उर्फ अजीज ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 811/5 मिन रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा अपीलार्थी घनश्याम पुत्र रामनारायण को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20–7–1993 को बेचान कर दी तथा उक्त बयनामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1319 दिनांक 19–10–1995 तस्दीक हुआ। चौसाला जमाबंदी में खातेदारी का इन्द्राज कर दिया जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 4018 रकबा 0.74 हैक्टैयर है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं थी क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 प्रभाव में नहीं रहा क्योंकि उसके पश्चात तीन नामान्तरकरण क्रमश 1056, 1214 एवं 1319 पारित किये जा चुके थे साथ ही अपीलांट आवश्यक पक्षकार था जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया। अगर अपीलांट को पक्षकार बनाया जाता तो उक्त सभी तथ्य रेकार्ड पर आते लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने जानबूझकर अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया और न्यायालय को गुमराह कर अवैधानिक आदेश पारित करवा लिया जो निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपील प्रस्तुत की तत्समय अपीलार्थी वारिसान दर्ज किसी पक्षकार बनाये प्रत्यर्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19–6–2017 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 470 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कथन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 125 की नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ने एक वाद सिविल न्यायाधीश मेड़ता के समक्ष अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थी के विरूद्ध रामनारायण पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में पंजीकृत बयनामा दिनांक 14–9–1991 को जो ईना उर्फ सत्तार ने कराया था उक्त बयनामें को निरस्त किये जाने हेतु भी वाद दिनांक 27–10–2016 को तैयार कर दिनांक 3–11–2016 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी व उसके पिता के बाबत सम्पूर्ण तथ्य अंकन किये हुए है इसलिए जबतक उक्त विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक नामान्तरकरण संख्या 470 निरस्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि नामान्तकरण एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसकी अपील चलने योग्य नहीं थी उसके बावजूद नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए क्लीन हैण्ड से अपील प्रस्तुत नहीं की उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भारी मियाद बाहर लगभग 40 वर्षो की लम्बी अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त नामान्तरकरण भिन्न भिन्न चौसाला जमाबंदी में लम्बे समय तक खातेदार दर्ज चले आ रही है अगर प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 अपना कोई हक व हिस्सा रखते है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चुनौती दे सकते थे क्योंकि नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के हक व अधिकार निर्णित नहीं किये जा सकते है क्योंकि अपीलार्थी व उसके पिता द्वारा जो आराजी क्रय की गई जो लगभग 33 से 35 वर्षो से खातेदार दर्ज है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2017 निरस्त करने एवं नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 स्व0 अजीज के विधिक उत्तराधिकारी है। स्व0 अजीज के [illegible] मृत्यु हो जाने से उनका फौतगी नामान्तरकरण पटवारी हलका [illegible] दिनांक 20–5–1976 को भरा गया तथा गिरदावर [illegible] दिनांक 31–5–1976 को ग्राम पंचायत द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही दिनांक 11–7–1976 को गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 470 स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य था। प्रत्यर्थी ने स्व0 अजीज के विधिक उत्तराधिकारीगण की सूचि पेश की है। जिसमें स्व0 अजीज के चारो विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकारी यानि प्रत्यर्थी व हकीम तो जीवित है तथा तीन विधिक उत्तराधिकारी सलीम, सोयदा व ईना का स्वर्गवास हो चुका है जिनमें सलीम के विधिक उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 है तथा सोयदा के विधिक उत्तराधिकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 से 18 है तथा ईना के विधिक उत्तराधिकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 19 से 22 है जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाये गये थे। प्रत्यर्थी ने अपने हक अधिकारो की सीमा तक ही यह अपील पेश की थी। प्रत्यर्थी मुस्लिम विधि अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है। यहां यह कहना भी उचित है कि कोई भी अवैध दस्तावेज जो प्रारम्भ से ही अवैध हो उसे निरस्त करवाने के लिए कोई मियाद अवधि भी नहीं होती है। क्योंकि वह दस्तावेज प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 470 भरे जाने के दिन व स्वीकृत किये जाने के दिन ही अवैध व शून्य था। उससे प्रत्यर्थी के कोई अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये व बिना प्रस्ताव पारित किये तथा बिना किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाये केवल नामान्तरकरण की कार्यवाही पटवारी हलका द्वारा भरे गये नामान्तरकरण पर ही स्वीकृत किये जाने का नोट अंकित कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई प्रस्ताव पारित किया और न ही अन्य विधिक उत्तराधिकारी न होने का स्पष्टीकरण दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प में सरपंच ग्राम पंचायत गगराना द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 को निरस्त कर तहसीलदार मेड़ता को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमो पर सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 अजीज पुत्र हुसैन की खातेदारी की आराजियात थी। जिसमें से ईना उर्फ सत्तार उर्फ अब्दुल सत्तार पुत्र अजीज निवासी गगराना द्वारा अपने हिस्से में आयी आराजी खसरा नम्बर 543/4 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी को अपीलार्थी के पिता श्री रामनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी मेड़ता सिटी को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 14–5–1991 द्वारा बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 27–5–1993 स्वीकृत किया गया एवं सोयदा उर्फ वहीद ने भी अपने हिस्से में आयी आराजी खसरा नम्बर 811/5 [illegible] 5 बीघा 5 बिस्वा को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20–7–1993 द्वारा [illegible]म पुत्र रामनारायण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा उक्त पंजीकृत बयनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1319 दिनांक 20–1[illegible]–1995 द्वारा अपीलार्थी के हक में पारित कर दिया जो राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वह उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बिना पक्षकारों की सुनवाई करे एवं विधिवत जांच किये नोनस्पीकिग आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 की अपील लगभग 40 वर्ष पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा की है जिसका भी कोई औचित्यपूर्ण कारण अंकित नहीं किया और अपने निर्णय में मियाद के बिन्दु का भी कोई निस्तारण नहीं कर प्रकरण तहसीलदार, मेड़ता को पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है क्योंकि अपीलार्थी व उसके पिता द्वारा जो आराजी क्रय की गई है वह उसमें लगभग 33 से 35 वर्षो से खातेदार दर्ज चले आ रहे है

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र में प्रतिफल प्राप्त करने व कब्जा अपीलार्थी के पिता एवं अपीलार्थी के सुपुर्द किया जाना अंकित है तो ऐसी स्थिति में सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसे दस्तावेज विधिक दस्तावेज है जब तक कि सक्षम न्यायालय से उसे निरस्त नहीं करवाया जाता। यदि बेचान गलत है या बेचान से प्रत्यर्थीगण असंतुष्ट है तो वे इसे सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु वाद दायर कर सकते है और वहां से अनुतोष भी प्राप्त कर सकते है। पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर जब नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तब उसमें विक्रेता को सुनवाई की भी जरूरत नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133(3) एवं 141 के तहत जहां भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा हस्तांतरित की जाती है जिसमें कब्जा सौपने का कथन हो वहां उक्त अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारी के पास नामान्तरकरण खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। यदि प्रत्यर्थीगण को विक्रय विलेख के विरूद्ध कोई असंतोष हो तो वे विधि के तहत सक्षम न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2017 निरस्त किये जाने एवं सरपंच ग्राम पंचायत गगराना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 11–7–1976 यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया तथ्यपरक समानता होने से यह सभी न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर यथावत चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 05/2016 अब्दुल गफ्फार व अन्य बनाम अब्दुल ह[illegible] अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर